

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 482]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 सितम्बर 2017—भाद्र 15, शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2017

सूचना

क्र. एफ-3-92-2012-बत्तीस.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत आमला निवेश क्षेत्र के लिये प्रारूप विकास योजना, 2021 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है. अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 उपधारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से दिनांक सितम्बर 2017 को प्रकाशित किया जा रहा है. उपांतरणों का विस्तृत विवरण बेबसाइड www.mptownplan.nic पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा.

1. अवर सचिव, म. प्र. नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
2. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय बैतूल.

उपांतरण का विवरण:—

1. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के कारण विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरण निम्नानुसार है:—

प्रारूप विकास योजना आमला, 2021 की पुस्तिका की कंडिका 6.2, 6.3, 6.5 सारणी 6-सा-2, कंडिका 6.5.1, 6.6, 6.8, 6.8.1, 6.8.2, 6.9, 6.9.1, 6.10, 6.17, 6.17.1, 6.20, 6.23, अध्याय-7 में उपांतरण किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्ताव का विस्तृत विवरण www.mptownplan.nic पर अवलोकन किया जा सकता है.

2. उक्त उपांतरण विवरण के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं. समयावधि में प्राप्त आपत्तियों / सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत लिया जा सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. के. साधव, उपसचिव.